[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 03/2020-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2020

सा.का.नि. .....(अ).– केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 19/2019-सीमाशुल्क, तारीख 6 जुलाई, 2019, सा.का.नि. सं. 476(अ) तारीख 6 जुलाई, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:--

उक्त अधिसूचना के आरंभिक पैरा में ''भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय या रक्षा बल'' शब्दों के स्थान पर ''रक्षा बल के लिए, रक्षा मंत्रालय या रक्षा बल या रक्षा पब्लिक सेक्टर यूनिटों या पब्लिक सेक्टर यूनिटों'' शब्द रखे जाएंगे।

[फा.सं. 334/2/2020-टीआरयू]

(गौरव सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 19/2019-सीमाशुल्क तारीख 6 जुलाई, 2019, सा.का.नि. सं. 476 (अ) तारीख 6 जुलाई, 2019 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 35/2019-सीमाशुल्क, तारीख 30 सितंबर, 2019 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई, जो सा.का.नि. सं. 728 (अ) तारीख 30 सितंबर, 2019 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी ।